

7(I)

20

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प0 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक २२/७/१९

आज्ञा

मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर में स्थित चामुण्डा माता मन्दिर में दिनांक 30 सितम्बर, 2008 को हुई भगदड़ के कारणों एवं अन्य समस्त पहलुओं की जाँच हेतु आदेश क्रमांक प. 32(2)गृह-9/2008 दिनांक 02.10.2008 द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जसराज चौपड़ा के अधीन जांच आयोग का गठन किया गया। उक्त आयोग का गठन जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत किया गया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जसराज चौपड़ा आयोग द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण कर एवं अपनी अभिशंषा मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करने हेतु समसंख्यक आज्ञा दिनांक 14.04.2018 के तहत तीन सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया गया था, उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.09.018 को प्रस्तुत की गई। जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के प्रावधान जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री जसराज चौपड़ा आयोग पर लागू होंगे, के सम्बन्ध में विधि विभाग एवं महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा भिन्न-भिन्न राय दी गई है।

अतः इस सम्बन्ध में पूर्व में गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा की गई अभिशंषाओं एवं विधि विभाग व महाधिवक्ता, राजस्थान द्वारा दी गई राय का परीक्षण कर एवं अपनी अभिशंषा मंत्रिमण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत करने हेतु मंत्रिपरिषद् के निम्नांकित सदस्यगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन एतद्वारा किया जाता है :-

1. डॉ. बी.डी. कल्ला, मंत्री, ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
2. श्री शान्ति कुमार धारीवाल, मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
3. श्री लालचन्द कटारिया, मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग।

उक्त मंत्रिमण्डलीय उप समिति तीन दिवस में अपनी अभिशंषायें मंत्रिमण्डल को प्रस्तुत करेंगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, गृह (ग्रुप-9) विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

Lalla
22/7/19
(डॉ० राजेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु है :-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित मंत्रिगण
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग
6. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय
7. रक्षित पत्रावली

o/c Lalla
22/7/19
शासन सचिव